# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
## –:: आदेश ::–

**सं० सं०–17/विविध–01–35/2026–** **पटना, दिनांक :– / / 2026**

डॉ० प्रीति कुमारी, चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड–BHS), अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज, अररिया को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में दिनांक–01.01.2026 से 29.06.2026 तक कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**ह0/–**
**(रेणु कुमारी)**
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

**ज्ञापांक :–17/विविध–01–35/2026–** 1401(17) **पटना, दिनांक :–21/10/2026**

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** सिविल सर्जन, अररिया/प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** डॉ० प्रीति कुमारी, चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड–BHS), अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**विशेष कार्य पदाधिकारी**
**–सह–संयुक्त सचिव।**